भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3998

17 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: उप-नगरीय किसानों के लिए सहायता

3998. श्री प्रवीन खंडेलवालः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उप-नगरीय क्षेत्रों में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एकत्रीकरण केन्द्रों, शीतागारों और प्रत्यक्ष शहरी बाजार पहुंच जैसी विशेष अवसंरचना सहायता के लिए पात्र हैं;

(ख) क्या दिल्ली सहित महानगरीय क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली खेती, संरक्षित खेती अथवा रूपटॉप एवं वर्टिकल और ऊर्धवाधर कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं मौजूद हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे क्षेत्रों जिनका तेजी से शहरीकरण हो रहा है, में उप-नगरीय किसानों के समक्ष आ रही चुनौतियों, विशेषकर भूमि विखंडन, जल की सुलभता और बाजार संपर्क से संबंधित चुनौतियों का कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) क्या सरकार का खाद्य सुरक्षा और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए नगरीय और उप-नगरीय कृषि के लिए एक समर्पित ढांचे की स्थापना का विचार करती है; और

(ङ) नगरीय कृषि को जलवायु-अनुकूल कृषि पहलों में एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) जिनमें अर्ध शहरी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, एकत्रीकरण केंद्र**,** शीत भंडारण और शहरी बाजार तक सीधी पहुंच जैसी अवसंरचना/सुविधाएं स्थापित करने के पात्र हैं। वे 10**,**000 एफपीओ के गठन और प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना**,** कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) या अन्य पात्र केंद्रीय या राज्य योजनाओं के अंतर्गत ऋण गारंटी निधि का लाभ उठा सकते हैं।

(ख) से (घ): केंद्र प्रायोजित योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत संरक्षित कृषि और उच्च मूल्य वाली बागवानी को सहायता प्रदान की जाती है, जिसे पूरे देश में लागू किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के अंतर्गत कृषि मूल्य श्रृंखला के प्रमुख तत्वों की स्थापना और आधुनिकीकरण को सुगम बनाया जाता है, जिसमें हाइड्रोपोनिक खेती, ऊर्ध्वाधर खेती और एरोपोनिक खेती आदि जैसी व्यवहार्य कृषि संपत्तियां सम्मिलित हैं। साथ ही, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं देश भर के किसानों को, उनके स्थान की परवाह किए बिना, लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं।

(ङ): प्रति बूंद अधिक फसल योजना जल उपयोग दक्षता के लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देती है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी) कार्यक्रम एकीकृत कृषि प्रणालियों (आईएफएस) को प्रोत्साहित करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को मृदा उर्वरता में सुधार के लिए मृदा पोषक तत्वों की अनुशंसाएँ प्रदान करता है। एमआईडीएच के अंतर्गत सहायता संबंधी उपाय क्लाइमेट रेजिलिएंड पद्धतियों को सहायता करते हैं जिनसे शहरी और अर्ध-शहरी कृषि प्रणालियों सहित सभी किसानों को लाभ मिलता है।
